

गालीशम - राजेन्द्र प्रसाद झा 13/07

दिनांक	आज्ञा पत्र
16-5-18	<p>बार-बार कावाज दिलाई गई। कमीलर एवं कमीलर के वकील कोर्ट हाजिर नहीं होये। कतः कदम हाजरी एवं कदम परवी साबित होने से कमील रकारज की जाती है। प्रजावली बाद तर्तक तकमील दारिबल देपतर हो। गिठिम सुनामा गमा।</p>



सू. प्रवक्ष अधिकारी एवं
पदेन राज्य अधील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official